(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 48 /2021
GST Circular No. 24 /2021

No. 2018/AC-II/1/57 30th August, 2021

Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub :- Requirement of LTDC Number for Income Tax-TDS pertaining to IRFC-EBR Project

IRFC vide their letter No. IRFC/GST/63 dated 25.08.2021 has brought out that Zonal Railways have not indicated the Lower Income Tax Deduction Certificate number or No. Income Tax Deduction Certificate number in respect of Income Tax deducted at source for IRFC funded EBR projects. Due to non-availability of these certificates, Income Tax Department has raised a Demand of Rs. 14.78 crore from IRFC. **This needs to be urgently addressed by all the Zonal Railways and Production Units.** In this regard, an Excel sheet containing vendor-wise/invoice-wise/ railway-wise details, has been placed **on GST Manual utility portal,** which may kindly be accessed. Following required information may be incorporated in the excel sheet pertaining to your Railway /Unit and submitted to IRFC immediately:

1. Income Tax PAN of the Vendor;
2. Lower /No Income Tax Deduction Certificate Number (LTDC No.)

Please note that only one consolidated excel sheet for each Zonal Railway/Production Unit is submitted to GM/F/IRFC presently. This may kindly be treated as Most Urgent.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:-GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS, GM/IRFC, Jt.Dir. Fin(L&F)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 48/2021
जीएसटी परिपत्र सं. 24/2021

सं. 2018/एसी-II/1/57 30 अगस्त, 2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: आईआरएफसी-ईबीआर परियोजना से संबंधित आयकर-टीडीएस के लिए एलटीडीसी संख्या की आवश्यकता।

आईआरएफसी ने दिनांक 25.08.2021 के अपने पत्र सं. आईआरएफसी/जीएसटी/63 के तहत यह सूचित किया है कि क्षेत्रीय रेलों द्वारा आईआरएफसी वित्तपोषित ईबीआर परियोजनाओं के लिए स्रोत पर काटे गए आयकर के संबंध में न्यूनतम आयकर कटौती प्रमाण-पत्र संख्या या शून्य आयकर कटौती प्रमाण-पत्र संख्या नहीं दर्शायी गई है। इन प्रमाण-पत्रों की अनुपलब्धता के कारण आयकर विभाग ने आईआरएफसी से 14.78 करोड़ रुपए की मांग की है। सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इस संबंध में, एक एक्सेल शीट जीएसटी मैन्युअल यूटिलिटी पोर्टल पर दर्शायी गयी है, जिसमें वेंडर-वार/बीजक-वार/रेलवे वार विवरण दिया गया है, कृपया इसे देखा जाए। अपनी रेलवे/इकाई से संबंधित निम्नलिखित अपेक्षित सूचना को एक्सेल शीट में सम्मिलित किया जाए और इसे तत्काल आईआरएफसी को भेजा जाए।

1. वेंडर का आयकर पैन;
2. न्यूनतम/शून्य आयकर कटौती प्रमाण-पत्र संख्या (एलटीडीसी संख्या)

कृपया नोट करें कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई के लिए इस समय केवल एक समेकित एक्सेल शीट महाप्रबंधक/आईआरएफसी को भेजी जाती है। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाए।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:- महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस, महाप्रबंधक/आईआरएफसी, संयुक्त निदेशक वित्त (एल एंड एफ)